प्रारंभिक शिक्षा को निशुल्क एवं अनिवार्य और सुलभ बनाने की शुरूआत भारत में आजादी के बाद सन् 1950 से शुरू हुई थी जब इसे अनुच्छेद 45 के तहत प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क एवम् अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में जोड़ा गया था। नीति निर्देशक सिद्धान्त 45 के अनुसार राज्य आने वाले दस वर्षों की अविध में 6—14 के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। लेकिन यह लक्ष्य 1 अप्रैल 2010 को पूरा हुआ जब 86 वें सिवधान संसोधन 2002 माध्यम से शिक्षा के अधिकार को सिवधान के अनुच्छेद 21—'क' में शामिल किया गया। शिक्षा का अधिकार—2009 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया। इसके साथ ही भारत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने वाला दुनिया का 135 वां देश बना। लेकिन इस शिक्षा के अधिकार को अक्टूबर 2019 में जम्मू—कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। इसलिए अब वर्तमान समय में शिक्षा का अधिकार पूरे भारतवर्ष में लागू है।

वर्तमान शोधकार्य केन्द्रीय हरियाणा विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए छह गावों (जॉट, पाली, मालड़ा, धोली, लावन, भुरजट) में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन की स्थिति की जांच करने के उद्देश्य से लिया गया है।यह शोधकार्य हितधारको की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के विभिन्न आयामों के साथ—साथ स्कूल के मानदंडों और मानको का मूल्यांकन करता है। वर्तमान शोध के लिए शोधकर्ता ने वर्णनात्मक मूल्यांकलानात्मक अनुसंधान डिजाइन अपनाया है और प्राथमिक डेटा संग्रह के लिए वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया था। इस शोधकार्य के लिए, शोधकर्ता ने उद्देश्यपूर्ण 382 का नमूना लिया जिसमें 45 शिक्षक, 12 प्रधानाध्यापक, 60 अभिभावक, 60 स्कूल प्रबंधन कमेटी के सदस्य, 6 स्थानीय प्राधिकरण सदस्य, 6 असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, 1 ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और 5वीं एवं 8वीं कक्षा के 192 छात्र शामिल थे।ये उत्तरदाताएँ शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत नौ सरकारी प्रारंभिक स्कूलों के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों के रूप में जुड़े हुए थे निर्णायक निष्कर्षों की विश्वसन्तीयता सुनिश्चित करने के लिए गुणात्मक तकनीकों (अर्ध—सरंचित साक्षात्कार, अवलोन, चेकलिस्ट, दस्तावेज विश्लेषण) की मदद से सर्वेक्षण किया गया। उपकरणों की वैद्यता विशेषज्ञों की राय, सुझाव और पायलट अध्ययन से की गई थी। आकड़ों का विश्लेषण आवृति और प्रतिशत से किया गया।

अध्ययन में पाया गया कि नमूना स्कूलों में भौतिक संसाधनों और मानव संसाधनों की उपलब्धता पूरी तरह से लागू नहीं थे। इसके अतिरिक्त हितधारकों (माता—पिता, एसएमसी सदस्य, प्रधान शिक्षक, शिक्षक, स्थानीय प्राधिकरण के सदस्य) को अनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के विषय में पूरी तरह से जानकारी नहीं थी, एसएमसी बैठकों में स्कूल प्रबधंक कमेटी के सदस्यों की सिक्रय भागीदारी नहीं थी और अन्य हितधारक भी स्कूल की गतिविधियों की निगरानी का कर्त्तव्य ईमानदारी से नहीं निभाते। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का मुख्य उद्देश्य 6—14 वर्ष के सभी बच्चों को संतोषजनक ढंग से

गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना हैं लेकिन शोधकार्य के निष्कर्षों से पता चलता हैं कि कक्षा 5वीं के केवल 23 प्रतिशत छात्र और कक्षा 8वीं के 15 प्रतिशत छात्रों ने भाषा और गणित में ग्रेड़ स्तर की दक्षता हासिल की है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का असंतोषजनक ढंग से कार्यान्वयन उन बच्चों के लिए हानिकारक साबित हो रहा हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते और जिनको 3 आर का बुनियादी ज्ञान नहीं है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता हैं कि यह उनके शिक्षा के अधिकार का हनन है क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा के आठ वर्ष पूरे करने के बाद भी इन बच्चों को अनपढ़ समझा जाएगा।

यहाँ शोध यह सुझाव प्रस्तुत करता है कि प्रारंभिक छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार करने और एसडीजी—4, के लक्ष्यों का प्राप्त करने के लिए फेल/पास की पद्धित को तीसरी कक्षा से लागू करने की आवश्यकता हैं। सरकारी माध्यमिक स्कूलों की दयनीय हालात सुधारने और सरकारी स्कूलों में छात्रों का नामांकन बढ़ानें के लिए, सरकारी स्कूलों में ऐसे कुशल प्रधान शिक्षक होने चाहिए। जिनको कम्प्यूटर, अग्रेंजी भाषा, संचार कौशल का ज्ञान हो और प्रभावशाली व्यक्तित्व हो। क्योंकि ऐसे कुशल प्रधानाध्यापक ऑफिस कार्यों के साथ—साथ स्कूल में अन्य कार्यों और मुद्धों को आसानी से कुशलतापूर्वक, व्यवस्थित तरीके से हल कर सकते हैं।

मुख्य शब्द: शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, स्कूल के मानदंड और मानक, सभी हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, कक्षा 5 वीं और 8 वीं के छात्रों की अकादिमक उपलिब्ध।

Abstract

In India, after independence the journey to make elementary education free and compulsory and accessible to all children, started from 1950 when the right to education was made the part of Directive principles of the state policy under Article 45 which stated that: "The State shall endeavor to provide within a period of ten year from the commencement of this constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years". The goal however, was not successfully achieved by India even after sixty years i.e. it did not fulfill up to 1st April 2010.

Through the 86th amendment, 2002, Article 21-A was inserted into the constitution to making education a fundamental right of all children between 6-14 years. The RTE was finally enacted in 2009, and came into force from1st of April, 2010 except for Jammu and Kashmir under Article 21-A. With this, India became the 135th country of the world which enacted Right to Education for their children of the age group of 6-14 years. The RTE Act, 2009 which also came into effect in Jammu and Kashmir from October 2019. Now it is implemented in the whole country.

The purpose of the present study is to evaluate the status of implementation of RTE Act 2009 in the area of six villages (Jant, Pali, Malra, Dholi, Lawan, Bhurjat) which adopted by Central University of Haryana, Mahendergarh district under the programme Unnat Bharat Abhiyan and Community Development on the dated 7th July 2015. The study aim to analyzing the stakeholders' roles and responsibilities as well as school' norms and standards to know the programme's outcome and effectiveness. For the present study descriptive evaluative research design was adopted and descriptive survey method was used for the collection of primary data. For this study, the researcher took a purposive sample of 382 consisting 48 teachers, 12 head teachers/headmasters, 60 parents, 60 SMCs' members, 6 local authority members (head of villages), 3 ABRCs and 1 BEO, 192 students of class 5th and 8th.

These respondents were directly or indirectly involved as functionaries or beneficiaries with the nine government elementary schools under RTE Act, 2009 and were surveyed with the help of qualitative techniques (semi-structured interview, observation checklist and document analysis) to bring out conclusive findings as well as to ensure the credibility/trustworthiness of findings. The content validity of the tools was checked with the help of various expert's suggestion as well as by the pilot study. Data were analysed by the statistical technique of Frequency and Percentage Analysis.

The study found that availability of physical resources and human resources were not fully implemented in sampled schools. Stakeholders (parents, SMC members, teachers, head teachers, local authority members) were not aware about their roles and responsibilities to fullest extent, there were not active involvement of SMC members in SMC meetings and other stakeholders also do not play the duty of monitoring the school's activities. The ultimate goal of RTE Act, 2009 is to provide the right of satisfactorily quality elementary education to all children 6-14 years but the findings of the study revealed that there were only 23% of students of class 5th and 15% of students of class 8th those have achieved the grade level competencies in language and mathematics.

Hence, it is concluded that there is poor implementation of RTE Act, 2009 which is proving harmful for those students who do not know how to read & write; who do not have the basic knowledge of 3R's; overall it can be said that these students will be **considered illiterate** even after completing the eight year of schooling education (elementary education) that is the violation of their right: Right to Education.

Hence it is suggested that to improve the learning level of elementary students and to achieve the goals of SDG-4, there is a need to implement the detention policy from 3rd class and whole year admission process should be stopped in the government elementary schools, there should be a timeline for admission. To improve the pathetic condition of government

elementary schools and to increase the enrollment of the students in the government schools, it is quite important to have the skillful leader in the schools. There is need and demand of a skillful leader as in private schools for e.g. skillful headmaster having skills of computer, English language, communication skills, effective personality etc. to manage official work as well as to control school's activities efficiently—and to solve the all issues in a systematic way.

Keywords: RTE Act 2009, school' norms and standards, roles and responsibilities of all stakeholders, academic achievement of class 5th and 8th students.